105

संख्या : 106 -दो(8)/XXXVI(2)/2012-106-दो(8)/2012

प्रेषक,

प्रेम सिंह खिमाल,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग - 2 देहरादून : दिनांक : 17 दिसम्बर, 2012

विषय: दिवानी न्यायालय परिसर, नैनीताल एवं पुलिस लाईन के समीप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवासों की छत की मरम्मत, रंगाई-पुताई एवं अन्य मरम्मत कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या-4931/U.H.C./ Admn.B /IX-b/2012, दिनांक: 13 सितम्बर, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है दिवानी न्यायालय परिसर, नैनीताल एवं पुलिस लाईन के समीप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवासों की छत की मरम्मत, रंगाई-पुताई एवं अन्य मरम्मत कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, नैनीताल द्वारा गठित आगणन ₹ 11.73 लाख के सापेक्ष संस्तुत धनराशि **₹ 9.26 लाख (₹ नौ लाख छब्बीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त सम्पूर्ण धनराशि तथा उक्त के अतिरिक्त ₹ 1.25 लाख की उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।

(2) व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(3) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यो के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय ।

(4) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय ।

(5) जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा ।

(6) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यो को सम्पादित किया जाय ।

(7) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर लिया जाय। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

(8) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय। एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(10) उक्त कार्यों को इसी धनराशि से पूर्ण किया जायेगा एवं आगणनों का पुनरीक्षण किसी दशा में नहीं किया जायेगा ।

(11) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006), दिनांक: 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(12) आगणन गठिन करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(13) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किय जाय। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता पूर्णरुप से उत्तरदायी होगें ।

(14) सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो संबंधित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक: 31.3.2013 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके न्यूनतम निविदा के सापेक्ष हुई बचत तथा क्रय की जाने वाली सामग्री के लिए स्वीकृत दरों के सापेक्ष हुई बचत की सूचना उपलब्ध करायी जायेगी एवं उक्त बचत की धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के आयोजनेत्तर पक्ष में लेखा-शीर्षक "2014-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-जिला तथा सेशन्स न्यायाधीश-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-321/XXVII(1)/2012, दिनांक: 19 जून, 2012 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित व्यवस्थानुसार जारी किये जा रहे है।

4- इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय का समायोजन पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-06-दो(8)/XXXVI(2)/2012-1-दो(2)/2012,दिनांक 02.07.2012 के साथ संलग्न अलोटमेंट आई0डी0 संख्या-S1207040046, दिनांक 02 जुलाई, 2012, के अन्तर्गत किया जायेगा।

भवदीय,

(प्रेम सिंह खिमाल)
अपर सचिव ।

संख्या- 106 -दो(8)/XXXVI(2)/2012-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. जिला न्यायाधीश, नैनीताल।
3. कोषाधिकारी, नैनीताल।
4. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
5. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
6. एन०आई०सी०/गार्ड फाईल ।

(प्रेम सिंह खिमाल)
अपर सचिव ।